न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /12 जिला–दतिया R 376 I/12

चिन्टू पुत्र रामचन्द्र साहू, निवासी ग्राम
बीकर, तहसील व जिला दतिया(म.प्र.)
— आवेदक

विरूद्ध

जगदीश पुत्र नत्थू धोबी, निवासी ग्राम
बीकर, तहसील व जिला दतिया(म.प्र.)
— अनावेदक

9/4/12

न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/2010–11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26.03.2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक –निगरानी–876–एक / 2012 जिला–दतिया

चिन्टू विरूद्ध जगदीश

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
17–05–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी एवं अनावेदक की ओर से श्री एस.के. अवस्थी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला–दतिया प्र.क्र. 2 / 2010–11 / निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26–03–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत इस निगरानी को सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2 / पक्षकार दिनांक 11–07–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 17/5/19 सदस्य	